इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृतः कार्यालयः– प्लॉट–15, 6वीं मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002
शाखा कार्यालयः 10डी, प्रथम तल, पजवानी कॉम्प्लेक्स गुमानपुरा कोटा 324007

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (सुरक्षा) हित अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित खाते के विरुद्ध उल्लिखित तिथि को एक मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें उधारकर्ता तथा संपत्ति के मालिक/जमानतदार को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि वापस करने का आह्वान किया गया है। जबकि संपत्ति के मालिक और अन्य द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा कर लिया है, जिसे प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ा जाता है। अब, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत, आदि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति का स्वामी) और ऋण खाता संख्या	आरोपित/बंधकढसंपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा हिस्सा जिसमें शामिल है)	मांग नोटिस की तिथि, मांग नोटिस की तिथि पर देय राशि	कब्जा की तिथि
श्रीमान श्रीमती लीला बाई, भेरू लाल, देशराज एवं शांति लाल निवास स्थानः मकान नंबर 480, निकट शंकर किटराना स्टोर जिला कोटा राजस्थान 324008 ऋण खाता क्रमांक.एच एल 3 2 सी एच **लोन एस 000005027057** और CLA100000803 और CHL100000804	सर्वे नं. रे–073/2165, बापू नगर, कोटा में ऑल दैट पीस एंड पार्सल हाउस, कुल माप 109.88 वर्ग गज, सीमाः पूर्व–रोड, उत्तर– कुंदन का घर, पश्चिम– टीला, दक्षिण– कालू तिवारी का घर	**डिमांड नोटिस 12/06/2021** रु.531854.61/– (पांच लाख इकतीस हजार आठ सौ चौवन और इकसठ पैसे) 30.06.2021 तक देय साथ में 01.07.2021 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	19–02–2025 **प्रतीकात्मक कब्जा**

स्थानः कोटा (राजस्थान) दिनांकः 22/02/2025 (अधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया श्री विनय राणा (+91 79886 05030), श्री नीरज सिंह (7014999205) से संपर्क करें

ujjivan SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी–7
सैक्टर 3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) [नियम–8(1)]

चूंकि, **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि की अदायगी के लिए कर्जदार/गारंटर को आमंत्रित करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथियों को कर्जदारों/गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावद्यानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन–देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और कथित सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन प्रत्येक खाते के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित राशि के अलावा ब्याज व अन्य प्रभार/खर्चे के लिए **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/सह–कर्जदार/रेहनकर्ता के नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
1. **विशाल उर्फ विशाल कुमार** पुत्र मूल चंद्र वार्ष्णेय, पारस टॉकीज के सामने वाली गली, मोहल्ला चावड़, सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश–204216, 2. **सुमित वार्ष्णेय पुत्र मूल चंद्र वार्ष्णेय,** पारस टॉकीज के सामने वाली गली, मोहल्ला चावड़, सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश 204216, 3. **बबीता वार्ष्णेय पत्नी विशाल उर्फ विशाल कुमार**, पारस तल्खी के सामने वाली गली, मुहल्ला चावड़, सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश–204216; इसके अलावाः **बबीता वार्ष्णेय पत्नी विशाल @ विशाल कुमार**, 312, मोहल्ला हरि नगर, सासनी देहात, हाथरस, उत्तर प्रदेश 204216। ऋण खाता संख्या 2312210180000004 में	खसरा नंबर 170 की आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 50.17 वर्ग मीटर है, सासनी देहात, परगना और तहसील सासनी, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः सीमाः पूर्वः मंदिर शंकरजी, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सुरेश चंद और गायत्री देवी का प्लॉट, दक्षिणः प्रकाश चंद का प्लॉट। संपत्ति विशाल @ विशाल कुमार और सुमित वार्ष्णेय की है, जो मूल चंद्र वार्ष्णेय के दोनों बेटे हैं यानी आप में से नंबर 1 और 2 पर है।	24.09.2024	20.02.2025	10,05,452/– रु. जो 16.09.2024 को देय है व उस पर ब्याज।

दिनांकः 21.02.2025 स्थानः हाथरस (यूपी) प्राधिकृत अधिकारी

ujjivan SMALL FINANCE BANK

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा "ए" क्रॉस, 18वां मुख्य, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560095
क्षेत्रीय कार्यालयः– जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (यूपी)
शाखा कार्यालयः उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी शाखाएँ दौसा, कोटपुतली, भीलवाड़ा में हैं।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" यहां निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित की जाएगी।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	13–2 नोटिस एवं मांग राशि की तिथि	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	भारतीय रुपये में आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य का 10प्रतिशत)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण (ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा)	संपर्क संख्या
1.	2215210180000019	1. ममलेश कंवर पत्नी दशरथ सिंह राजपूत 2. दशरथ सिंह राजपूत पुत्र सेडू सिंह राजपूत	26–फरवरी–24 रु. 15,51,877/–	23–जनवरी–2025	रु. 18,36,494.24/– (12.02.2025 तक)	15–मार्च–2025 01.00 अपराह्न बजे	रु. 18,20,000/–	रु. 1,82,000/–	28–मार्च–2025 सुबह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक	27–मार्च–2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की दौसा शाखा के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ईएमडी जमा की जानी है, जो निम्न पते पर स्थित हैरू– ऊपरी तल, खसरा संख्या 1611, शिव कॉलोनी, आगरा रोड, अशोक नगर, दौसा – 303303	9602161818, 9950157892, 9983365566
	प्लॉट नं. एल–632 के पश्चिमी डार्ट का वह सारा डार्ट और पार्सल खसरा नं.2088। शिक्षक कॉलोनी गुओतेश्वर रोड। दौसा। रायस्थान का क्षेत्रफल 56.64 वर्ग गज है, जो इस प्रकार घिरा हैः– उत्तरः– सड़क, दक्षिणः– सड़क, पूर्वः– प्लॉट संख्या एल–632 का पूर्वी भाग, पश्चिमः– अन्य का प्लॉट											
2.	2306210110000003	1. सुरेश चंद यादव पुत्र प्रभाती लाल यादव उर्फ प्रभात 2. आशा देवी पत्नी सुरेश चंद यादव	02–मार्च–24 रु. 5,23,221/–	20–जनवरी–2025	रु. 6,36,651.08/– (09.02.2025 तक)	15–मार्च–2025 दोपहर 01.00 बजे	रु. 12,23,000/–	रु. 1,22,300/–	28–मार्च–2025 दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	27–मार्च–2025 शाम 04.00 बजे तक	कोटपूतली शाखा में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडीरू– ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 1982, खसरा नंबर 1196, ग्राम बसाड़ी, तहसील कोटपूतली, पी55डब्ल्यू+एमक्यू8, कोटपूतली, राजस्थान – 303108	9602161818, 9950157892, 9983365566
	पट्टा नंबर 51 क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति का वह हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 144.36 वर्ग गज ग्राम–आसपुरा, ग्राम पंचायत–गोरधनपुरा, पंचायत समिति–कोटपूतली, जिला–जयपुर में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः सीमाएंः– उत्तरः– प्रभाती लाल की कृषि भूमि, दक्षिणः– महेंद्र प्रकाश का मकान, पूर्वः– महेंद्र प्रकाश का मकान, पश्चिमः– सीसी रोड											
3.	2288210040000024	1. श्री जगन्नाथ गाडरी पुत्र बक्शा गाडरी 2. श्रीमती कमला देवी गाडरी पत्नी जगन्नाथ गाडरी	04–10–2021 रु. 4,61,018.00/–	09–07–2024	रु. 7,15,116.68/– (12–02–2025 तक)	15–मार्च–2025 दोपहर 01.00 बजे	रु. 6,43,000/–	रु. 64,300/–	19–मार्च–2025 दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	18–मार्च–2025 सायं 04.00 बजे	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भीलवाड़ा शाखा में जमा किया जाना चाहिए, जो इस पते पर स्थित हैः – दुकान नंबर 3 और 4, श्री महालक्ष्मी चौम्बर्स, पुर रोड, पुराना आरटीओ रोड, एलजी शोरूम के बगल में, गांधी नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान – 311001	9950437507, 9950157892, 9983365566
	आवासीय संपत्ति, प्लॉट संख्या नील (पट्टा संख्या 45), क्षेत्रफल 1205.75 वर्ग फीट, गांव रतनपुरा, ग्राम पंचायत आमलीगढ़, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा–राजस्थान में स्थित भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा, जो निम्नानुसार घिरा हुआ हैः पूर्वः गोपी/रत्ना गाडरी पश्चिमः भैरू/नंदा गाडरी उत्तरः रोड दक्षिणः नानूरत्ना गाडरी											
4.	2288790000013	1. श्री राधे श्याम दरोगा पुत्र सावंत दरोगा 2. श्रीमती संतोष दरोगा पत्नी राधे श्याम दरोगा	7–जुलाई–2021 रु. 4,74,183.00/–	16–फरवरी–2024	रु. 10,16,887.34/– (12–02–2025 तक)	15–मार्च–2025 दोपहर 01.00 बजे	रु. 5,83,000/–	रु. 58,300/–	19–मार्च–2025 दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक	18–मार्च–2025 सायं 04.00 बजे	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में भीलवाड़ा शाखा में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिए, जो इस पते पर स्थित हैरू दुकान नंबर 3 और 4, आराजी नंबर 2742ध्4, श्री महालक्ष्मी चेम्बर्स, एलजी शोरूम के बगल में, पुर रोड (पुराना आरटीओ रोड), राजस्व गांव, भीलवाड़ा, राजस्थान–311001	9950437507, 9950157892, 9983365566
	विलाए बड़ा महुवा में स्थित आवासीय भूखंड का पूरा टुकड़ा और भूमि। ग्राम पंचवट बड़ा महुवा। पंचवट समिति सुवाणा। तहसील और जिला – भीलवाड़ा। रियासत 894.88 वर्ग फीट का क्षेत्रफल जिसमें इमारतें, संरचनाएं और उस पर किए गए सभी सुधार शामिल हैं। सीमाएंः पूर्वः कैलाश/शंकर दरोगा की संपत्ति, पश्चिमः दुर्गा/मदन दरोगा की संपत्ति, उत्तरः सड़क, दक्षिणः खाई (रावली खाई)											
5.	2288210040000034, 2288210070000005	1. श्री भेरू लाल बलाई पुत्र कल्याण बलाई 2. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी भेरू लाल बलाई	10–05–2021 रु. 4,59,663.00/–	10–07–2024	रु. 12.02.2025 को 7,15,186.99/– (खाता संख्या 22882100400 00034): रु. 12.02.2025 तक 83,511.60/– (खाता संख्या 22882100700 00005)	15–मार्च–2025 04.00 अपराह्न	रु. 4,66,000/–	रु. 46,600/–	19–मार्च–2025 दोपहर 2.00 बजे से 2.30 बजे तक	18–मार्च–2025 शाम 04.00 बजे तक	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में भीलवाड़ा शाखा में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी यहां स्थित हैरू– दुकान नं. 3 और 4, श्री महालक्ष्मी चौंबर्स, पुर रोड, पुराना आरटीओ रोड, एलजी शोरूम के बगल में, गांधी नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान – 311001	9950437507, 9950157892, 9983365566
	आवासीय संपत्ति पट्टा नं. 09. विला बबराना में स्थित है। ग्राम पंचवट बबराना पंचवट समिति बनेरा। जिला भीलवाड़ा। रायस्थान का माप 517 सौ फीट है। सीमाएंः पूर्वः रतन लाल बलाई, पश्चिमः जगदीश ढोली, उत्तरः कैलाश ढोली, दक्षिणः पब्लिक वे											

नियम एवं शर्तेंः–

ई–नीलामी "जहां है, जैसा है" "जो है, जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/पट्टों के शीर्षक तथा संपत्ति पर होने वाले दावोंध्अधिकारोंध्बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और खुद को संतुष्ट करें। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित स्थलों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. ई–नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता– मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति – श्री प्रभाकरन (मो. नं. 7418281709)। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट में संपत्तियों के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com** या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाएं और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और अपना यूजर–आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर– 7291918824,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडीः– **support@bankeauctions.com**, नीलामी पोर्टल – **https://www.bankeauctions.com** से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम बोली लगाने वालेध्प्रस्तावित व्यक्ति को बेची जाएगी, बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेक है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक है।
6. सफल बोली लगाने वाले की ईएमडी आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी और असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य का 25प्रतिषत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75प्रतिषत बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या किसी भी मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में और पूरी तरह से उसके विवेक पर सहमत 3 महीने से अधिक नहीं की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चूक करने वाले क्रेता के पास संपत्तिध्राशि के संबंध में कोई दावाध्अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन बलपूर्वक रद्द करने के खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूकध्विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैक–अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

यह उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में भी एक सूचना है।

दिनांकः 22.02.2025, अधिकृत अधिकारी,
स्थानः नोएडा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

आरबीएल बैंक लिमिटेड

RBL BANK apna ka bank

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम लेन, शाहुपुरी, कोल्हापुर–416001।
क्षेत्रीय कार्यालयः प्रथम तल, बिल्डिंग नंबर 1, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–3, नई दिल्ली–110020।

ई–नीलामी बिक्री नोटिस (सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत बैंक को प्रभारित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8(6) के साथ पठित

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर (ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर में से किसी की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों सहित) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां आरबीएल बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूत ऋणदाता/बैंक") को बंधक/प्रभारित (सामूहिक रूप से ष्संपत्तिष के रूप में संदर्भित) हैं, जिनका कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा जमा की गई संपत्ति को, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है, बैंक के बकाया राशि और ब्याज की वसूली के लिए, जैसा कि नियम 8 और 9 के तहत विस्तृत रूप से बताया गया है, नीचे दिए गए ई–नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोलियां आमंत्रित करके "जहां है, जैसा है"' "जो कुछ भी है" और "बिना सहारा के आधार पर" बेचा जाएगाः

पार्टियों, बकाया राशि और संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

उधारकर्ता एवं गारंटरओ का नाम	संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि सरफेसी अधिनियम के तहत मांग और कब्जे की सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	दस्तावेजों के साथ बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि	अधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नंबर/ईमेल आईडी
1. **शोभित सुगला पुत्र प्रेम चंद सुगला** संपत्ति संख्या 163, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 55, गुरुग्राम, हरियाणा–122001। इसके अलावाः एच.नं. 386, अर्बन एस्टेट, सेक्टर –7, करनाल (ग्रामीण) (भाग –1), करनाल, हरियाणा–132001 2. **नेहा मारवाह पुत्री अशोक कुमार मारवाह** संपत्ति संख्या 163, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 55, गुरुग्राम, हरियाणा–122001। इसके अलावाः हाउस नंबर 51, अर्बन एस्टेट, सेक्टर –8, करनाल (ग्रामीण) (भाग –1) करनाल, हरियाणा–132001	प्लॉट नंबर 163, माप 171 वर्ग मीटर। ग्राउंड फ्लोर (बेसमेंट सहित), सेक्टर 55, गुरुग्राम, हरियाणा–122001।	**19.11.2024 को रु.61,20,498.39/–** (रुपये इकसठ लाख बीस हजार चार सौ अट्ठानवे तथा पैसे उनतीस मात्र) **डिमांड नोटिस दिनांक 19.11.2024** **प्रतीकात्मक कब्जे के नोटिस की तिथि– 04.02.2025**	**आरक्षित मूल्यः रु.1,98,79,200/–** (एक करोड़ अट्ठानबे लाख उनासी हजार दो सौ रुपए मात्र) **ईएमडी राशिः** रू 19,87,920/–(उन्नीस लाख सतासी हजार नौ सौ बीस रुपए मात्र) **बोली वृद्धि राशिः** रु.50,000/– (पचास हजार रुपए मात्र)	28.03.2025 सुबह 11:00 बजे	27.03.2025 को या उससे पहले सायं 05:00 बजे तक	**प्राधिकृत अधिकारीः** श्रीमती मोनिका गुप्ता संपर्कः 9910570226 ईमेल आईडीः monica.Gupta@rblbank.com माणिक कपूर संपर्कः 9999889121 ईमेलः manik.kapoor@rblbank.com

नियम एवं शर्तेंः

(1) ई–नीलामी बिक्री ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने और ई–नीलामी में भाग लेने से पहले **https://www.bankeauctions.com** और https://www.rblbank.com/pdf-pages/news की वेबसाइट पर उपलब्ध नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
(2) बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और खुद को संतुष्ट करें।
(3) इच्छुक बोलीदाता अपने विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टलः **https://www.bankeauctions.com** (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यह राशि आरबीएल बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगीः– नीलामी आय संग्रह जीएल, खाता संख्या 2599001000139998 (आईएफएससी कोड आरएटीएन0000100) या 27.03.2025 को शाम 05:00 बजे से पहले डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से।
(4) इच्छुक बोलीदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संपर्क नंबरः 7291981124/25/26 से ई–नीलामी पर समर्थन/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान मोबाइल नं. 9813887931, ई–मेल आईडीः **delhi@c1india.com** और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए वे श्रीमती मोनिका गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नं. 9910570226, ई–मेल आईडीः monica.Gupta@rblbank.com) और माणिक कपूर संपकर्रू 9999889121 ई–मेलः **manik.kapoor@rblbank.com** से संपर्क कर सकते हैं।
(5) बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने औरध्या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगितध्रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
(6) सफल बोलीदाता को परिवहन के लिए देय शुल्क/शुल्क वहन करना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि लागू कानून के अनुसार और खरीद मूल्य के अतिरिक्त अन्य ज्ञातध्अज्ञात वैधानिक/सरकारी/श्रम बकाया/कर बकाया आदि का भी भुगतान करेगा।
(7) सफल बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के अगले दिन के भीतर पहले से जमा ईएमडी को समायोजित करने के बाद बोली राशि का 25: और बोली मूल्य का शेष 75% बिक्री के 30वें दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर और पूरी तरह से उसके विवेक पर जमा करेगा। ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर बोली राशि का 25%/शेष राशि का 75% जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, जमा की गई पूरी राशि (ईएमडी सहित) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को तुरंत फिर से बेच दिया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी किसीध्या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए नीलामी बिक्री को स्थगित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर (किसी भी उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों सहित) को ई–नीलामी की तिथि से पहले उक्त राशि के साथ–साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक और अन्य ब्याज और लेन–देन दस्तावेजों के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा बकाया राशि वसूलने के लिए संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी।

दिनांकः 22–02–2025 हस्ता/–
स्थानः गुरुग्राम अधिकृत अधिकारी
आरबीएल बैंक लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002.

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे"अधिनियम"कहा गया है) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें आगे"नियमावली"कही गयी है) के नियम 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी